डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1294 **New Delhi: 06.10.2022**

श्री विपिन कुमार
पुत्र श्री जयवीर सिंह
ग्राम सकौती, पोस्ट- सकौती टांडा
तहसील- सरधना, जनपद मेरठ
मोबाइल-9760086742

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 17.09.2022, जो CGM/मेरठ के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 06.10.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 04 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
मोबाइल-9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

पत्रांक–एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / भाग–VIII

दिनाक– 29.09.2022

जे.जी.एम. / एडमिन (सीपीआईओ),
डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आवेदनकर्ता श्री विपिन कुमार पुत्र जयवीर सिंह, निवासी ग्राम– सकौती, पोस्ट– सकौती टांडा, तहसील– सरधना, जनपद मेरठ व फोन नं0– 9760086742, जो कि डाक माध्य से दिनांक– 20.09.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र में श्री विपिन कुमार पुत्र जयवीर सिंह, निवासी ग्राम– सकौती, पोस्ट– सकौती टांडा, तहसील– सरधना, जनपद मेरठ के सम्बन्ध मे जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना चाही गयी है:–

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	यह कि ग्राम कनौडा तहसील सरधना, जिला मेरठ के खसरा संख्या –35 व 47 के मालिको को मिलने वाले अनुदान के विषय में यह बताने का कष्ट करे कि वर्ष 2020 में खसरा संख्या –35 में से 160 वर्ग मीटर व खसरा संख्या– 47 में से 610 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित की गई थी, उसका मुआवजा भी वर्ष 2021 में मिल गया था, लेकिन दिया जाने वाला अनुदान अभी तक नही मिला है। अतः यह बताने का कष्ट करे कि अनुदान में मिलने वाली राशि अंकन 5–5 लाख रूपये क्यो नही मिल रही है, इसका कारण लिखित रूप में बताने का कष्ट करे।	• रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या– ई0(एन0जी0) II/ 2010 / आर0सी0–5 / 1 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा जारी दिशानिर्देशो के अनुसार अनुदान धनराशि रू 5,00,000 / – का वितरण सक्षम प्राधिकारी–भू0अ0 की आख्या के आधार पर एक खसरा के उन सभी भू–स्वामियों जोकि विस्थापित अथवा भूमि हीन हो गये है, में उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में भूमि प्रतिकर का भुगतान किया गया है। • सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकरी (भू0अ0) स0स0, मेरठ के पत्रांक 1878 / आठ–अ0जि0अ0 / भू0अ0 / सं0स0 / मेरठ दिनांक 17.05.2022 के अनुसार ग्राम कनौडा के खसरा संख्या 35 व 47 के भूस्वामी भूमि अधिग्रहण के पश्चात विस्थापित अथवा भूमिहिन नही हुए है, जिसके आधार पर उक्त भूस्वामी अनुदान में मिलने वाली धनराशि के पात्र नही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

29/10/2022

उप परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
उप जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य महाप्रबन्धक / डीएफसीआईएल, मेरठ– को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जीएम / एमए / ईसी–III – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जेजीएम / एमए / ईसी–II – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 193 /2019

No. E(NG)II/2010/RC-5/1

New Delhi, dated 11 .11.2019

To

The General Manager,
All Zonal Railways/ Production Units
(As per standard mailing list)

Sub: Revision of policy regarding compensation of Land losers affected by land acquisition for Railway projects.

Ref: (i) RBE No. 99/2010 dated 16.07.2010
(ii) RBE No. 120/2010 dated 13.08.2010
(iii) Railway Board's letter No. E(NG)II/2010/RC/5/1 dated 28.09.2010.

1. On notification of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 (Removal of Difficulties) Order 2015 dated 28.08.2015, provisions of RFCTLARR Act 2013 related to determination of compensation in accordance with First, Second and Third Schedules of the RFCTLARR Act 2013 have become applicable to all cases of land acquisition under the Railways Act 1989 also. This inter alia means that, irrespective of whether land acquisition for Railway projects is done through Railways Act 1989 after declaring it as a Special Railway Project or through RFCTLARR Act 2013 through State Governments, determination of compensation shall be in accordance with First, Second and Third Schedules of the RFCTLARR Act 2013.

2. The modalities for implementation of Serial [illegible] of the Second schedule of the RFCTLARR Act 2013 were examined by Ministry of Railways and it has been decided that:

i. Ministry of Railways' earlier policy of offering appointment in Railways to affected land-losers issued vide references above is withdrawn and circulars issued in this regard vide reference above stand superseded.

ii. Lump sum payment of Rs. 5 Lakhs to be provided to affected families who were primarily dependent [illegible] livelihood, i.e., cases where their livelihood [illegible]

...2/-

Scanned with CamScanner

acquisition or where entire land-holding of [redacted] been acquired.

[redacted] however, the Competent [redacted] or C[redacted] should unequivocally certify that the affected family has been displaced and dislocated to another [redacted] holding has been acquired. [redacted] of joint ownership of a plot [redacted] lump-sum payment of Rs. 5 lakhs should be shared between joint owners of plot in same ratio in which land value is to [redacted]

4. This may be brought to the notice of all concerned authorities dealing with the acquisition of land and ensure that all determination of compensation for acquisition of land under the Railways Act, 1989 are in consonance with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013.

5. This policy shall be effective from the date of issue of this letter.

6. This issues with the concurrence of Finance and approval of the Competent Authority.

(Chandra Shekhar)	(M. M. RAI)
Jt. Director Land & Amenities	Jt. Director Estt.(N)II
Railway Board	Railway Board

No. E(NG)II/2010/RC-5/1 New Delhi, dated 11 .11.2019

Copy to:

(i) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
(ii) The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
(iii) All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
(iv) The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Board (5 spares).
(v) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
(vi) The President, Railway Board Class II Officers' Association.
(vii) The Secretary General, IRPOF.
(viii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
(ix) The Secretary, Railways Board Ministerial Staff Association.
(x) The President, Railway Board Class IV Officers' Association.

Scanned with CamScanner

कार्यालय — सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), संयुक्त संगठन, मेरठ।

पत्रांक 1878 **/आठ–अ0जि0अ0 / भू0अ0 / सं0सं0 / मेरठ** **दिनांक** 17-05-2022

विषय :– ग्राम–सहीपुर दौराला, कनौडा, जसरतपुर, खिर्वानौआबाद, मटौर व सकौती में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हेतू अधिग्रहीत भूमि में हितबद्ध भूस्वामियों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत पात्र परिवारों की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने दिनांक 07.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा ग्राम–सहीपुर दौराला, कनौडा, जसरतपुर, खिर्वानौआबाद, मटौर व सकौती में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हेतू अधिग्रहीत भूमि में हितबद्ध भूस्वामियों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत पात्र परिवारों को अनुमन्य अनुदानं राशि का शीघ्र निस्तारण किये जाने का आग्रह किया गया है।

उप ज़िलाधिकारी, सरधना के पत्रांक 468 /एस0टी0एस0 दिनांक 07.04.2022 (छायाप्रति संलग्न) के साथ प्रतिकर प्राप्त व्यक्तियों के परिवारों के सम्बन्ध में जांच उपरान्त सूचित किया गया है कि वर्ष 2020 व 2021 में हुए भूमि अधिग्रहण के पश्चात उपरोक्त में से कोई भी कृषक विस्थापित अथवा भूमिहीन नहीं हुआ है।

उक्त अधिनियम, 2013 के प्रकाश में व रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नई गाइडलाइन दिनांक 11.11.2019 अनुसार जो भूस्वामी भूमिहीन हो रहा है अथवा विस्थापित हो रहा है, उन प्रभावित परिवारों को गाटाओं में उसके हिस्से अनुसार 5.00 लाख में हिस्से के अनुसार ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत अनुदान राशि देय है। प्रतिकर प्राप्त व्यक्तियों की आपके द्वारा प्रेषित सूची में उल्लिखित परिवारों को उप जिलाधिकारी, सरधना द्वारा प्रदत्त उपरोक्त आख्या के आधार पर उक्त अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के रूप में दी जाने वाली अनुदान राशि शून्य है। कृपया अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

17/5/22

सक्षम प्राधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)
संयुक्त संगठन, मेरठ।

पत्रांक व दिनांक यथोपरि,

प्रतिलिपि :–महाप्रबन्धक (समन्वयक), डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सक्षम प्राधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)

To be prepare micro plan as per report
DGM/C 21/5/2022

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ... तृतीय तल
श्री ... जी कॉम्प्लेक्स ... के सामने, मेरठ।

क्रमांक 17223 दिनांक 20/5/22

1. म0प्र0 (समन्वय)..........
2. उ0मु0प0प्र0 (इन्जी0)/मेरठ..........
3. उ0मु0प0प्र0 (इन्जी0)/जी0बी0नगर..........
4. उ0मु0प0प्र0 (इन्जी0) आर0एफ0ओ0/जी0बी0 नगर..........
5. उ0मु0प0प्र0 (वित्त)/मेरठ..........
6. उ0मु0प0प्र0 (स0 एवं दू0)/मेरठ..........
7. प0प्र0 (इन्जी0)/मेरठ..........
8. प0प्र0 (विद्युत)/मेरठ..........
9. प0प्र0 (विद्युत)/जी0बी0नगर..........